(17)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र
जिला ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. /निगरानी/ /अध्यक्ष/2017

श्रीमती जनकदुलारी पत्नी श्री अशोकसिंह चौहान निवासी मकान नं–105, न्यू कॉलोनी बिरलानगर ग्वालियर म0प्र0 ...प्रार्थिनी

बनाम

श्री केदार कुशवाह पुत्र श्री कुन्नू कुशवाह निवासी ग्राम लडुआका पुरा तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर तहसीलदार वृत्त हस्तिनापुर तहसील व जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 9/2014–15 अ–70 में पारित आदेश दिनांकी 20.04.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

(17)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2017/2144 [जनक दुलारी/केदार कुशवाह]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर तहसीलदार वृत हस्तिनापुर तहसील व जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 9/2014-15/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 20-4-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात् यह मानकर कि मौके पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से बंदोबस्त में हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने के पश्चात् ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण लंबित कर दियागया परन्तु बाद में आवेदिका को सूचना दिये बगैर व सुनवाई का मौका दिये बगैर आवेदिका के विरूद्ध जो आदेश पारित किया गया वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होनेसे निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय को आवेदिका के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करना था क्योंकि प्रकरण में आवेदिका द्वारा अपनी साक्ष्य सिद्ध किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी क्योंकि दावा सिद्ध किये बगैर अधीनस्थ् न्यायालय ने आवेदिका को अवैध कब्जाधारी मानते हुये बेदखली के आदेश देने में त्रुटि की है । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत मात्र अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण होना है जहॉ आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार वृत हस्तिनापुर तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दि.20-4-17 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	